कार्यालयः उ0प्र0 लोक सेवा आयोग
संख्या– 121 / 04 / अतिगोपन–2 / 2023–24
प्रयागराजः दिनांकः05 नवम्बर, 2024

विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किसी विज्ञापन के सापेक्ष प्रारम्भिक परीक्षाओं, जो अंतिम चयन हेतु श्रेष्ठता–निर्धारण का आधार न होने तथा मात्र स्क्रीनिंग के उद्देश्य से करायी जाती है, हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में शासनादेश दिनांक–19.06.2024 में निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षा केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण एकाधिक दिवसों / पालियों में कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– किसी एक विज्ञापन के सापेक्ष एकाधिक दिवसों / पालियों में आयोजित कराये जाने वाले परीक्षाओं के मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधी विषय की वस्तुपरक समीक्षा कर अपनी अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु आयोग द्वारा लब्ध प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी।

3–देश के विभिन्न प्रतिष्ठित भर्ती निकायों, आयोगों आदि में किसी एक विज्ञापन के सापेक्ष एकाधिक दिवसों / पालियों में आयोजित कराये जाने वाले परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु पूर्व से प्रचलित व्यवस्था एवं सिविल अपील संख्या– 228 ऑफ 2022 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम अतुल कुमार द्विवेदी व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक–07 जनवरी, 2022, मा0 उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा सी0डब्लू0पी0– 25505–2021, राकेश सिहाग बनाम हरियाणा राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक–11.08.2023 तथा रिट याचिका (सी0) संख्या–2860 / 2024, सेतु विनीत गोयनका बनाम राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेन्सी व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक–27.02.2024 एवं अन्य विभिन्न प्रकरणों में मा0 न्यायालयों द्वारा तद्विषयक पारित आदेशों का अध्ययन और विषय का गहन अनुशीलन एवं समीक्षा करते हुए गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन हेतु अपनी निम्न वस्तुपरक अनुशंसा उपलब्ध करायी गयीः–

$$\boldsymbol{P_{ij}} = \{\frac{\textit{Number of candidates in shift (j) having raw scores less than or equal to } X_{ij}}{N_j}\}\ \mathbf{100}$$

Where:

P_{ij} = Percentile score

X_{ij} = Actual marks (raw score) of a candidate

N_j = Total Number of Candidates appearing in a shift

The percentile score may be computed by rounding off to six places of decimal.

4–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा गठित लब्ध प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसानुसार शुचिता, गुणधर्मिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु दो या दो से अधिक दिवसों / पालियों में होने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकारक परीक्षाओं में मूल्यांकन हेतु उक्त प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

5– यहाँ यह भी कहना समीचीन होगा कि मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली उक्त प्रक्रिया कम्प्यूटर सिस्टम आधारित (साफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से) होगी तथा तद्नुसार ही उक्त तरह की परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया शुचितापूर्वक पूर्ण की जायगी।

(धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी)
उपसचिव ।